

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर।

उपस्थित: अनमोल पाल, एच.जे.एस.

सत्र परीक्षण संख्या — 157 सन 2024

उ0प्र0 राज्य **बनाम** हुबराज यादव व 02 अन्य

मु0अ0सं0— 169 सन 2021

धारा—323, 504, 506, 308 भा0दं0सं0

थाना—लालगंज, जिला—मीरजापुर।

आरोप

मैं, अनमोल पाल, सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर आप अभियुक्तगण **हुबराज यादव, विनोद कुमार यादव व रजनीश यादव** को निम्न आरोपों से आरोपित करता हूँ —

1. यह कि दिनांक 15.07.2021 को समय करीब 09 बजे दिन बहदस्थान ग्राम बामी, थाना लालगंज, जनपद मीरजापुर में आप लोगों ने साशय वादी मुकदमा बृजभूषण यादव के लड़के श्याम कुमार यादव व संदीप कुमार यादव को ईट, पत्थर व लाठी डण्डा से मार पीटकर साधारण स्वेच्छया उपहति कारित किया। इस प्रकार आप लोगों के द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया जो भा0दं0संहिता की धारा 323 सपठित धारा 34 के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।
2. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने वादी मुकदमा के लड़के श्याम कुमार यादव व संदीप कुमार यादव को गाली गुप्ता देकर अपमानित किया जिससे ऐसे अपमानित व्यक्ति के प्रकोपित होने पर लोकशान्ति भंग होने की सम्भावना उत्पन्न हुई। इस प्रकार आप लोगों के द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया जो भा0दं0सं0 की धारा 504 के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।
3. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने वादी मुकदमा के लड़के श्याम कुमार यादव व संदीप कुमार यादव को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार आप लोगों के द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया जो भा0दं0सं0 की धारा 506 के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।
4. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों द्वारा साशय वादी मुकदमा के लड़के श्याम कुमार यादव व संदीप कुमार यादव को ईट, पत्थर व लाठी डण्डा से मारा पीटा गया, जिससे संदीप कुमार यादव के सिर में गंभीर चोटें आयी। यदि इन चोटों से संदीप कुमार यादव की मृत्यु हो जाती तो आप लोग हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के दोषी होते। इस प्रकार आप लोगों के द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया जो भा0दं0सं0 की धारा 308 सपठित धारा 34 के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्वारा आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोपों के सम्बन्ध में आप लोगों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक 06.09.2024

(अनमोल पाल)
सत्र न्यायाधीश,
मीरजापुर।

ID No.: UP1880

उपरोक्त आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण की मांग किया।

दिनांक 06.09.2024

(अनमोल पाल)
सत्र न्यायाधीश,
मीरजापुर।

ID No.: UP1880

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर।

सत्र परीक्षण संख्या — 157 सन 2024

उ०प्र० राज्य बनाम हुबराज यादव व 02 अन्य

मु०अ०सं०— 169 सन 2021

धारा—323, 504, 506, 308 भा०दं०सं०

थाना—लालगंज, जिला—मीरजापुर।

06.09.2024

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर अभियुक्तगण हुबराज यादव, विनोद कुमार यादव व रजनीश यादव व्यक्तिगत रूप से मय अधिवक्ता उपस्थित।

आरोप के बिन्दु पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 323/34, 504, 506, 308/34 भा०दं०सं० के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने का पर्याप्त आधार है।

तदनुसार अभियुक्तगण हुबराज यादव, विनोद कुमार यादव व रजनीश यादव के विरुद्ध धारा 323/34, 504, 506, 308/34 भा०दं०सं० के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण की मांग किया।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 01.10.2024 को पेश हो। नियत तिथि के लिए साक्षीगण जरिए समन तलब हों।

सत्र न्यायाधीश,
मीरजापुर।